संख्या- 248 / 2024 /1748 / चार-2024

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 20 जून, 2024

विषय:- जनपद फिरोजाबाद के खेरिया स्थित रामलीला मैदान का सौन्दर्यीकरण एवं अन्य विकास कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-546/सं0नि0-6(131)/2018-19 टी.सी. दिनांक 14 जून, 2024 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 158/2023/825/चार-2023 दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा जनपद फिरोजाबाद के खेरिया स्थित रामलीला मैदान का सौन्दर्यीकरण एवं अन्य विकास कार्य हेतु रू0 189.36 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 38.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। तत्क्रम में शासनादेश संख्या- 179/2024/950/चार-2024 दिनांक 23.03.2024 द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु रू0 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। परियोजना हेतु अब तक कुल रू0 88.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। टेण्डर कास्ट के अनुसार परियोजना की लागत रू0 1,87,75,444.00 है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद फिरोजाबाद के खेरिया स्थित रामलीला मैदान का सौन्दर्यीकरण एवं अन्य विकास कार्य हेतु टेण्डर कास्ट के अनुसार लागत रू0 1,87,75,444.00 के सापेक्ष धनराशि रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश संख्या- 158/2023/825/चार-2023 दिनांक 28 मार्च, 2023 एवं शासनादेश संख्या- 179/2024/950/चार-2024 दिनांक 23.03.2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।
(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।
(4) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,000/- (रू0 पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखाशीर्षक** 4202048004100 सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चाहरदीवारी का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/ दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 248 /2024 / 1748 (1)/चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- महाप्रबंधक, यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, गोमती नगर लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई-4, आगरा।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in